

(4)

प्रेषक

वित्तायुक्त एवं सचिव हरियाणा सरकार  
जिला विभाग।

सेवा में

1. हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त/अधिकारी/उपायुक्त
2. हरियाणा के सभी जिला शिक्षा अधिकारी/जिला प्राधिकरण जिला अधिकारी।
3. सभी जिला पंचायत तथा विकास अधिकारी, हरियाणा।

मात्रा क्रमांक 23/42/91 निमा III (2)

दिनांक: 19-12-91

विवर-

विद्यालय भवनों की मरम्मत/निर्माण घरे।

राज्य सरकार ने राजकीय विद्यालय भवनों की जोखनीय दशा तथा बड़ी ही छात्र संख्या को ध्यान में रखते हुए उनकी मरम्मत इसाहित तथा अतिरिक्त कर्मों के निर्माण द्वारा एक योजना बढ़ कार्यक्रम अपनाने का निर्णय लिया है। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि इस योजना के अन्तर्गत विद्यालय भवनों की मरम्मत तथा अतिरिक्त कर्मों के निर्माण का कार्य सम्बन्धित उपायुक्त की देख रेख में यह स्तर पर किया जाना है और जिला के उपायुक्त द्वारा इस कार्य की प्रसंति की जानी वीजाकारी बैठक में की जानी है।

1. जिला शिक्षा अधिकारी ऐसे राजकीय विद्यालय भवनों की सभी (i) जिले के भवन नकारा तथा अतुरंगित है तथा जिन्हें मरम्मत की निरामित आवश्यकता है अंदर (ii) जिले विद्यालयों में अतिरिक्त योजनों का निर्वाचन करवाया जाना है, उन पर वर्ष होने वाली अनुमानित रोपि तथा विद्यालय की मिल-भिल छात्र निविड़ों में जिलांक 31-12-91 तक उपलब्ध राजि दस्तावेज़ द्वारा सम्बन्धित उपायुक्त को उपलब्ध करायें।

2. जिला स्तर पर राजकीय विद्यालय भवनों की मरम्मत एवं अतिरिक्त कर्मों का निर्माण का कार्य करवाने के लिये निम्नानुसार विकास योजनाओं में दाति का प्रावधान है:-

1. अवाहुर रोजगार योजना के अन्तर्गत विद्यालयों में नए कर्मों का निर्माण
2. विकेन्द्रित योजना स्कीम के अन्तर्गत विद्यालय भवनों की मरम्मत।
3. दीर्घिन ग्राम के अन्तर्गत विद्यालय भवनों की मरम्मत तथा कर्मों का निर्माण।
4. हरियाणा प्रादीप्ति विकास कार्य की योजना के अन्तर्गत तरह कर्मों का निर्माण।

3. जिला नियाम के बषट में व्यापक रूप से दाति तथा नियाम सार पर एकत्रित भवन निर्माण भवनों से विद्यालय भवनों की मरम्मत/कार्यक्रम का नियाम।

4. जिला नियाम के बषट में व्यापक रूप से दाति तथा नियाम सार पर एकत्रित भवन निर्माण भवनों की मरम्मत/कार्यक्रम का नियाम।

5. जिला नियाम के बषट में व्यापक रूप से दाति तथा नियाम सार पर एकत्रित भवन निर्माण भवनों की मरम्मत/कार्यक्रम का नियाम।

प्रत्येक जिला स्तर पर अतिरिक्त उपायुक्त की अवधिकारी में उपरोक्त कार्य हेतु एक समिति का गठन किया जाएँ। यह समिति जिला शिक्षा अधिकारी के सहयोग से विद्यालय भवनों की स्थिति की समीक्षा करेगी तथा विद्यालय भवनों के कार्य की प्राथमिकता प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रथम भाग अवधि 30 फैसले तक उपलब्ध राशि को सम्मुख रखते हुए इसर कार्यक्रम करेगी जिसकी एक प्रति निवेशक संकेतदारी शिक्षा/निवेशक प्राथमिक शिक्षा को भी खेजती है। वित्तीय वर्ष 1991-92 मार्किय करेगी जिसकी एक प्रति निवेशक संकेतदारी शिक्षा/निवेशक प्राथमिक शिक्षा हरियाणा को भी खेजती है। प्राथमिकता निवारित जाए तथा उत्तमी प्रति निवेशक संकेतदारी शिक्षा/निवेशक प्राथमिक शिक्षा हरियाणा को भी खेजती है। प्राथमिकता अवरुद्धित है तथा करते समय भवनों के बरमत के कार्य टेकमप किए जाएं, जिनके भवन अवृत्तित हैं तथा करते समय सभी प्रथम प्राथमिक विद्यालयों में खेजी जिनमें अतिरिक्त घटना होने का अदेश बना रखता है। कमरों का नियोग करते समय सभी प्रथम प्राथमिक विद्यालयों में खेजी कर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करता है। जाए तबोचांत माध्यमिक/उच्च वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में खेजी कर्ताओं के नियोग बारे कार्यवाही की जाए। अतिरिक्त उपायुक्त की अवधिकारी में जिला स्तर पर गठित की जाने वाली समिति के अन्य सदस्य मिलानुसार होगी।

1. उप बष्टडल अधिकारी (नागरिक)
2. कार्यकारी अधिकारी (पंचायती राज)
3. जिला शिक्षा अधिकारी/जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी
4. जिला के सभी उप सम्पत्ति शिक्षा अधिकारी।

प्राथमिक भवनों की बरमत/कमरों के नियोग के कार्यों के अनुसार सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा "सिगल कार्डिल" पर अधिकारी उपायुक्त को प्रशासकीय/वित्तीय समिति हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे। तदोपरात कार्य विद्यालय स्तर पर कार्यक्रम की गई नियोग समितियों द्वारा अप्पले किए जाएंगे। एवं विद्यालय भवनों की बरमत तथा कमरों के सह समिति की बासी बनाने का अनुमति प्राप्त को सम्मुख रखते हुए बार भागों में विभाजित किया जाता है।

(क) ऐसे राजकीय विद्यालय भवन, जिनकी बरमत/नियोग पर 50 हजार रुपये तक की राशि बच रहे की सम्बन्धित अधिकारी उपरोक्त की गई नियोग समिति द्वारा ही कार्य भवन नियमित तियावाली 1989 के अन्तर्गत गठित की गई है, उन विद्यालय भवनों की बरमत/नियोग का कार्य भवन नियमित तियावाली 1989 के अन्तर्गत गठित की गई भवन नियमित द्वारा ही करता है।

(ख) ऐसे राजकीय विद्यालय भवन, जिनकी बरमत/नियोग पर 50 हजार रुपये से अधिक तथा एक साल तक की राशि बच रहे का अधिकारी उपरोक्त की गई नियोग समिति द्वारा कार्य भवन करता है। इस समिति का गठन मिलानुसार किया जाए।

1. विद्यालय का सम्बन्धित सुधाराधार/प्रधानाधार
2. भवन का भोवरसीटर (पंचायती राज)
3. सम्बन्धित विद्यालय के दी प्रति 000 का भवान/उपर्य
4. सम्बन्धित भवन का उपरान्ध संघर्ष और सांख्यिकार्य
5. सम्बन्धित विद्यालय में कार्यानुकोई दृष्टिकोणांक

समिति का अध्यक्ष/वकालती	आफिकर
दैनिक सदस्य	दैनिक सदस्य
सदस्य	सदस्य
सदस्य	सदस्य

इस अकाउंट राजकीय सम्बन्धित विद्यालयों की बाबत दृष्टिकोण की बाबे बड़ी कमटी का अध्यक्ष सम्बन्धित उप सम्भव विद्या अधिकारी, तथा बकालरी आफिकर, सम्बन्धित विद्यालय का समिति होगा तथा प्राथमिक विद्यालय से जिनमें दैनी का अध्यक्ष सम्बन्धित विद्यालय विद्यालय का है। दौसरे होगा। समितियों का अध्यक्ष सम्बन्धित विद्यालय विद्यालय का समिति द्वारा बकालरी सम्बन्धित विद्यालय का है। दौसरे होगा।

(क) ऐसे विद्यालय, जिनकी भवनों पर यह अकाउंट दृष्टिकोण के बाबे एक सम्भव विद्या अधिकारी (नागरिक), जो भवानावाली सम्बन्धित विद्यालय

SDO/SDM

45

टेक्नीकल सदस्य

सदस्य

मदस्य

सदस्य

अकाउंटिंग अफिसर

किया जाए, जिसके अन्य सदस्य निम्नानुसार होंगे -

1. एसो डी० शो० (पंचायती राज)
2. सम्बन्धित उप मण्डल विद्या विधिकारी
3. सम्बन्धित प्राप्त पंचायत का सरपंच तथा मंस्टर पंचायत
4. सम्बन्धित विद्यालय के पी० टी० ए० के प्रधान/सदस्य
5. सम्बन्धित स्कूल का मुखिया

(ब) ऐसे विद्यालय भवन विद्यालयी भरमत/निर्माण पर 5 लाख रुपये से अधिक तथा 10 लाख रुपये तक की राशि बढ़ होने का अनुमान है, के कार्यों को जिला स्तर पर अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित करके कार्य को सम्पन्न करवायाजाएगा। इस समिति के अन्य सदस्य निम्नानुसार होंगे -

1. विद्या विद्या विधिकारी
2. कार्यकारी अधिकारी (पंचायती राज)
3. संबन्धित प्राप्त का सरपंच तथा मंस्टर पंचायत
4. संबन्धित विद्यालय का मुखिया

नोट - जहारी भवन में स्थित विद्यालयों के मामले में याम पंचायत के सरपंच तथा सदस्य के स्थान पर म्यूचिसिपल कमेटी का प्रधान तथा सदस्य को सामिल किया जाए।

5. उपरोक्त परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि जब तक हरियाणा राज्य के सभी राजकीय विद्यालय भवनों की भरमत/निर्माण का काय पूरा नहीं हो जाता है तब तक विद्यालय के बवट में इन कार्यों के लिये अवस्थित राशि (नान व्हान/ज्ञान) में से सोने निर्माण विद्यालय को केवल इस सदस्य बल रहे, कार्य पूरे भवनों का निर्माण तथा 10 लाख रुपये से अधिक राशि के भरमत के कार्यों को सम्पन्न करने हो जाए।

यह स्थीकृत वित्त विभाग द्वारा उनके अंशा० क्रमांक 3793-3902-3 वि० वि० 11-91 / दिनांक 29-11-91

हस्ता/-

(डॉ० डी० गुप्ता)

विद्यालयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,  
विद्या विभाग

दिनांक 19-12-91

90 क्रमांक 23/42/91- वि० III (2).

एक प्रति भवानेवाकार हरियाणा (i) (ए एड ई) (ii) अधिक चर्चीय को वृद्धार्थ देजी जाती है।

हस्ता/-

विद्या विभाग,

हरियाणा सरकार,  
विद्या विभाग।

दिनांक 19-12-91

90 क्रमांक 23/42/91- वि० III (2)

पृ० क्रमांक 2/43-2006

दिनांक 31-1-2007

एक-एक भारतीय विद्या अधिकारी निदेशक सेक्रेटरी शिक्षा / निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा, चण्डीगढ़ तथा निदेशक विभाग हरियाणा, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कोर्टवाही हेतु भेजी जाती है।

उप सचिव, शिक्षा,  
कृते, वित्ताधिकार एवं प्रधान सचिव हरियाणा सरकार  
शिक्षा विभाग।

पृ० क्रमांक 2/43-2006

दिनांक 31-1-2007

एक-एक प्रति सभी वित्ताधिकारी एवं प्रधान सचिव / विशेष कार्य अधिकारी / निजी सचिव, मुख्यमंत्री तथा उपरिक्त सचिव, सचिव, भेजी सचिव, मंत्रीगण, राज्य मंत्रीगण मुख्य संसदीय सचिव को सूचनार्थ भेजी जाती है।

उप सचिव, शिक्षा,  
कृते, वित्ताधिकार एवं प्रधान सचिव हरियाणा सरकार  
शिक्षा विभाग।

एक प्रति सभी वित्ताधिकारी आयुक्तों एवं सचिवों, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप सचिव, शिक्षा,  
कृते, वित्ताधिकार एवं प्रधान सचिव हरियाणा सरकार  
शिक्षा विभाग।

संक्षेप में,

सभी वित्ताधिकारी आयुक्तों एवं सचिवों हरियाणा सरकार

क्रमांक 2/43-2006 वट्ठा (३)

दिनांक 31-1-2007

(2)

46

एक-एक प्रति निवेदक उच्चतर शिक्षा/निवेदक सेक्रेटरी शिक्षा/निवेदक प्राधिक शिक्षा, हरियाणा, बंगलोरु तथा निवेदक पंचायत विभाग, हरियाणा, बंगलोरु को सूचनार्थे एवं आवश्यक कार्यबाही हेतु भेजी जाती है।

हस्ता/-

उप सचिव, शिक्षा,

कृते: विस्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,  
शिक्षा विभाग।

मा. नमांक 23/42/91-फि० III (2)

दिनांक 19-12-91

एक-एक प्रति प्रधान सचिव/उप प्रधान सचिव/विभेद कार्य अधिकारी/निवि भविव, मध्य भारती तथा बरिष्ठ सचिव/सचिव/  
निवि सचिव/मंत्रीगण/राज्य अधीक्षण मुख्य संसदीय सचिव को सूचनार्थ भेजी जाती हैं।

हस्ता/-

उप सचिव, शिक्षा,

कृते: विस्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,  
शिक्षा विभाग।

एक प्रति ज़मीनी विस्तायुक्तों/आयुक्तों एवं सचिवों, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ प्रेषित है।

हस्ता/-

उप सचिव, शिक्षा,

कृते: विस्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,  
शिक्षा विभाग।

में से

सभी विस्तायुक्तों/आयुक्तों एवं सचिवों, हरियाणा सरकार

मा. नमांक 23/42/91- फि० III (2)

दिनांक 19-12-91

(8) (43) 47

प्रेषक

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव हरियाणा सरकार  
शिक्षा विभाग ।

सेवा में

1. हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त
2. हरियाणा के सभी जिला शिक्षा अधिकारी/ जिला औसिक शिक्षा अधिकारी
3. सभी जिला पंचायत तथा विकास अधिकारी, हरियाणा ।

यारी क्रमांक 2/43-2006 वर्कर्स (2)  
दिनांक, चण्डीगढ़ । 31/1/2007

विषय : विद्यालय भवनों की मुरम्मत/निर्माण वारे ।

उपरोक्त विषय पर सरकार के पत्र क्रमांक 43/42/91 शि-गा (2) दिनांक 18.12.1981  
की निरन्तरता में । अंकित किया जाता है कि उक्त दिशा निर्देशों के पैरा 4 (क), (ख), (ग) और (घ) में  
राशि के खर्च की सीमा निम्न अनुसार बढ़ाई जाती है :-

- (क) 50 हजार रुपये से 1.00 लाख रुपये तक ।  
(ख) 1.00 लाख रुपये से अधिक तक 5.00 लाख रुपये तक ।  
(ग) 5.00 लाख रुपये से अधिक तक 10.00 लाख रुपये तक ।  
(घ) 10.00 लाख रुपये से अधिक तक 20.00 लाख रुपये तक ।

शेष दिशा निर्देश अधावत रहेंगे ।

यह स्पष्टीकृत वित्त विभाग द्वारा उक्त क्रमांक 60/118/07-08 निः 00-11-1/  
108 दिनांक 30/1/2007 द्वारा दी गई मंत्रणा अनुसार जारी की गई है ।

उपरोक्त विषय  
कृते; वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव हरियाणा सरकार  
शिक्षा विभाग ।

प्र० क्रमांक 2/43-2006 वर्कर्स (2)

दिनांक 31-1-2007

एक प्रति महासंख्याकार हारियाणा (1) (ए पंड ही) (1) अंडिट चण्डीगढ़ को सूचनाएँ भेजी जाती हैं ।

उपरोक्त विषय  
कृते; वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव हरियाणा सरकार  
शिक्षा विभाग ।